

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: 24(12)(01)/2024

जयपुर, दिनांक:-05.10.2024

—:आदेश:—

राज्य सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 18 (8) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में पैरवी हेतु निम्न सहायक निदेशक अभियोजनगण को तुरन्त प्रभाव से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है :-

क्र.स.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	किशोर न्याय बोर्ड
1	सुश्री शोभारानी	सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय उप निदेशक अभियोजन भीलवाडा	भीलवाडा
2	श्री राजेश मीना	सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय उप निदेशक अभियोजन जयपुर द्वितीय	जयपुर प्रथम
3	श्रीमती पंकज सोनी	सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय उप निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम	जयपुर द्वितीय
4	श्री प्रवीण वर्मा	सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय उप निदेशक अभियोजन जोधपुर	जोधपुर
5	श्री राजेश कुमार	सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय उप निदेशक अभियोजन नागौर	नागौर

- नोट :-** 1. उक्त सहायक निदेशक अभियोजनगण अपने कार्य के साथ-साथ संबंधित किशोर न्याय बोर्ड में कार्य करेंगे।  
2. उक्त कार्यव्यवस्था किशोर न्याय बोर्ड हेतु सहायक निदेशक अभियोजन पद के सृजन एवं अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)



प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
2. सचिव, बाल अधिकारिता विभाग।
3. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक अभियोजन अजमेर/जयपुर प्रथम/जोधपुर।
5. उप निदेशक अभियोजन भीलवाडा/जयपुर द्वितीय/जयपुर प्रथम/जोधपुर/नागौर।
6. संबंधित अधिकारी .....।

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर।
2. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाडा।
3. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर द्वितीय।
4. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर प्रथम।
5. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, नागौर।

शासन सचिव, गृह (विधि)